

कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 4

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

| मुख्य शीर्ष | बजट 2000-2001 | | | संशोधित 2000-2001 | | | बजट 2001-2002 | | | |
|---|---------------|--------------|-------|-------------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|-------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | 32.80 | 5.00 | 37.80 | 40.00 | 15.70 | 55.70 | 52.70 | 6.42 | 59.12 | |
| पूंजी | 17.20 | ... | 17.20 | 10.00 | ... | 10.00 | 2.30 | ... | 2.30 | |
| जोड़ | 50.00 | 5.00 | 55.00 | 50.00 | 15.70 | 65.70 | 55.00 | 6.42 | 61.42 | |
| 1 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 3451 | 5.50 | 3.10 | 8.60 | 4.00 | 3.06 | 7.06 | 4.60 | 4.00 | 8.60 |
| मछली पालन | | | | | | | | | | |
| 2. समुद्री मछली पालन | 2405 | 7.60 | ... | 7.60 | 17.53 | ... | 17.53 | 23.50 | ... | 23.50 |
| | 4405 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 6405 | 4.80 | ... | 4.80 | 4.80 | ... | 4.80 | 0.50 | ... | 0.50 |
| जोड़ | | 12.40 | ... | 12.40 | 22.33 | ... | 22.33 | 24.00 | ... | 24.00 |
| जोड़ मछली पालन | | 12.40 | ... | 12.40 | 22.33 | ... | 22.33 | 24.00 | ... | 24.00 |
| खाद्य, भंडारण और भाण्डागार | | | | | | | | | | |
| 3. खाद्य, भंडारण और भाण्डागार के अन्य कार्यक्रम | | | | | | | | | | |
| 3.01 चावल मिलों के आधुनिकीकरण करने के लिए अनुदान | 2408 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 0.29 | 0.79 | 0.40 | 0.33 | 0.73 |
| 3.02 बागबानी आधारित उद्योग के लिए अनुदान | 2408 | 10.05 | 1.00 | 11.05 | 5.41 | 0.98 | 6.39 | 4.95 | 1.49 | 6.44 |
| | 6408 | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 0.50 | ... | 0.50 |
| | | 10.05 | 1.00 | 11.05 | 10.41 | 0.98 | 11.39 | 5.45 | 1.49 | 6.94 |
| 3.03 मांस प्रसंस्करण के लिए अनुदान | 2408 | 0.55 | ... | 0.55 | 0.65 | ... | 0.65 | 1.60 | ... | 1.60 |
| | 6408 | 9.50 | ... | 9.50 | 0.10 | ... | 0.10 | 1.10 | ... | 1.10 |
| जोड़ | | 10.05 | ... | 10.05 | 0.75 | ... | 0.75 | 2.70 | ... | 2.70 |
| 3.04 दुग्ध आधारित उद्योगों के लिए अनुदान | 2408 | 4.50 | ... | 4.50 | 7.00 | ... | 7.00 | 6.80 | ... | 6.80 |
| 3.05 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए अनुदान | 2408 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.01 | ... | 0.01 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 3.06 व्यय की अन्य मदें | 2408 | ... | ... | ... | ... | 10.94 | 10.94 | ... | ... | ... |
| | 4408 | 0.50 | ... | 0.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 6408 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | | 0.50 | ... | 0.50 | ... | 10.94 | 10.94 | ... | ... | ... |
| जोड़ खाद्य भंडारण और भाण्डागार के अन्य कार्यक्रम उपभोक्ता उद्योग | | 26.10 | 1.30 | 27.40 | 18.67 | 12.21 | 30.88 | 20.35 | 1.82 | 22.17 |
| 4. सरकारी उद्यम में निवेश | 4860 | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | 0.20 | ... | 0.20 |
| | 6860 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | 0.20 | ... | 0.20 |
| 5. एन ई आर ए एम ए सी में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुदान | 2852 | ... | 0.60 | 0.60 | ... | 0.43 | 0.43 | ... | 0.60 | 0.60 |
| 6. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान | 2552 | 3.60 | ... | 3.60 | 4.90 | ... | 4.90 | 5.85 | ... | 5.85 |
| | 4552 | 1.40 | ... | 1.40 | 0.10 | ... | 0.10 | ... | ... | ... |
| जोड़ | | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.85 | ... | 5.85 |
| जोड़ उपभोक्ता उद्योग | | 6.00 | 0.60 | 6.60 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 6.05 | 0.60 | 6.65 |
| कुल जोड़ | | 50.00 | 5.00 | 55.00 | 50.00 | 15.70 | 65.70 | 55.00 | 6.42 | 61.42 |
| ख. सरकारी उद्यम में निवेश | | | | | | | | | | |
| 4.01 माडर्न फूड उद्योग (इंडिया) लिमिटेड | 12860 | 0.50 | ... | 0.50 | ... | ... | ... | 0.10 | ... | 0.10 |
| 4.02 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. (एन ई ए आर एम सी) | 12860 | 0.50 | ... | 0.50 | ... | ... | ... | 0.10 | ... | 0.10 |
| जोड़ | | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | 0.20 | ... | 0.20 |
| ग. आयोजना परिव्यय | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 13451 | 5.50 | ... | 5.50 | 4.00 | ... | 4.00 | 4.60 | ... | 4.60 |
| 2. मछली पालन | 12405 | 12.40 | ... | 12.40 | 22.33 | ... | 22.33 | 24.00 | ... | 24.00 |
| 3. खाद्य, भंडारण और भाण्डागार | 12408 | 26.10 | ... | 26.10 | 18.67 | ... | 18.67 | 20.35 | ... | 20.35 |
| 4. उपभोक्ता उद्योग | 12860 | 6.00 | ... | 6.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 6.05 | ... | 6.05 |
| जोड़ | | 50.00 | ... | 50.00 | 50.00 | ... | 50.00 | 55.00 | ... | 55.00 |

1. इस में मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान किया गया है ।

2. इसमें पारम्परिक मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विपणन को सुदृढ़ करने, कम मूल्य की मछली का उपभोग करने और इसका मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदानों इक्विटी और ऋणों के रूप में सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान है।

3.01 इसमें क्षेत्रीय केन्द्रों, अनाज प्रसंस्करण परीक्षण केन्द्रों और विस्तार सेवा केन्द्रों को सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके देश में चावल कुटाई उद्योगों के संवर्धन और आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान किया गया है ।

3.02 इसमें प्रजातिगत विज्ञापनों और विपणन सुविधाओं, मानवशक्ति विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन, पिछड़े संयोजनों को सुदृढ़ करने और प्रदर्शन एककों/ पायलट परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए सहायता अनुदान, के रूप में सहायता प्रदान करके उद्यान विज्ञान आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रावधान रखा गया है ।

3.03 इसमें मांस प्रसंस्करण, कुक्कुट अंडा प्रसंस्करण के विकास तथा विपणन सुविधाओं, अवसंरचना और यातायात के विकास के लिए सहायता अनुदान के रूप में सहायता देकर घरेलू तथा मांस और मांस उत्पादों के साथ साथ के निर्यात के संवर्धन के लिए प्रावधान रखा गया है ।

3.04 इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अनुसंधान एवं विकास स्कीमों की स्थापना करने के लिए प्रावधान है ।

3.05 इसमें गैर एस एस आई/ एस एस आई कम्पनियों को सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए आई डी बी आई/ एस आई डी बी आई के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए निधि के सृजन के लिए प्रावधान किया गया है ।

3.06 इसमें बागवानी आधारित उद्योगों, मांस प्रसंस्करण और दुग्ध आधारित उद्योगों के लिए इक्विटी और ऋण के रूप में प्रावधान किया गया है ।

4.01 इसमें मार्लन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. (एम एफ आई एल) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एन ई आर ए एम ए सी) में इक्विटी निवेश के लिए प्रावधान किया गया है ।

5.1. इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान किया गया है ।

6. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों, के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं में एकमुश्त प्रावधान रखा गया है ।